न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गूर्जर, R.A.S.**

प्रकरण संख्या:–44 / 2014 **दायर दिनांक:–22.09.2023**

जीसीएमएस नं. 2016 / 00223

1. चन्द्र भान } पिसरान चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी हुक्मीखेड़ा, तहसील
2. सतीश } सूरौठ जिला करौली
3. चन्द्रवती } पुत्रियां चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी हुक्मीखेड़ा, तहसील सूरौठ
4. सुमरन
5. रामराज } पिसरान बद्री जाति ब्राह्मण निवासी हुक्मीखेड़ा, तहसील सूरौठ
6. हेतराम
7. गोमती } पुत्रियां बद्री जाति ब्राह्मण निवासी हुक्मीखेड़ा, तहसील सूरौठ
8. फूलवती
9. ललिता

-----सायल–09

बनाम

1. खिलौना
2. दिनेश
3. मुकेश
4. सुरेश
5. नरेन्द्र
6. मु.आशा पत्नि मुकेश
7. मु. गुड्डी पत्नि सुरेश,
8. मु. सपना पत्नि नरेन्द्र
9. रोहित पुत्र सुरेश

} पिसरान खिलौना, जाति ब्राह्मण निवासी हुक्मीखेड़ा, तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

--गैरसायलान–08

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] निषेधाज्ञा

उपस्थित:– 1. श्री अशोक [illegible] अधिवक्ता सायल

2. श्री [illegible] गुर्जर अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक :– 5-[illegible]-25

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0 न0 601 / 2

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

... 60 ऐयर, 605 रकबा ऐयर, 607 रकबा 18 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 167 है0 ग्राम हिंडोरा तहसील सूरौठ में स्थित है। जिसका मौजूदा रिकॉर्ड मृतक चतुर्भुज के वारिसान सायल स0 1 ता 4 बहिस्सा 1/2 तथा मृतक बुद्धी के वारिसान सायल स. 5 लगायत 9 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। एवम जमाबंदी में अंकित किरनदेवी पत्नि चतुर्भुज का स्वर्गवास हो चुका है। तथा मु. नर्बदा का भी स्वर्गवास हो चुका है हालांकि मु. नर्बदा देवी अपने 1/2 हिस्से का हक परित्याग बहक मु. गोमती कर चुकी है। इस प्रकार मृतक किरनदेवी के हिस्सा 1/10 पर उनके वारिसान सायल स. 1 ता 4 काबिज व दखील है।

आराजी ख0न0 601/2 रकबा 20 ऐयर सायल स. 1 ता 4 व सायल स. 5 ता 9 द्वारा पूर्व पश्चिम दो भागो में बाहमी तकासमा कर उत्तरी भाग पर सायल स. 5 ता 9 का कब्जाकाश्त है। मकान रिहायशी भी कृषि विकासा पूर्वी साईड में बना हुआ है, तथा इसी प्रकार सायल स. 1 ता 4 द्वारा उक्त खसरा न0 के दक्षिणी हिस्सा 1/2 पर मकान रिहायशी कृषि विकासार्थ बना रखा है। तथा शेष हिस्सा हमेशा से काश्त के कार्य मे लिया जाता रहा है, और वह क्रय आज भी बदस्तुर है।

सायलान व गैरसायलान के परिवारो में आपसी संबंध कालांतर मे बहुत ही मधुर रहे है, और एक दुसरे की हरप्रकार के कार्य कलापों मे मदद व सहयोग भी करते रहते है। मगर अब गैरसायलान आदमी वाले व पैसे वाले व्यक्ति हो गये है। इसलिये गैरसायलान सायलान को हैरान व परेशान कर गांव से भागकर उनकी जमीन जायदाद को हडपने के लिये प्रयासरत है।

ग्राम हुक्मीखेडा की आबादी से सायलान रिहायशी व खेतों को आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा 600 जो ख0न0 601/1 के उत्तर में ख0न0 605 व 607 के मध्य हमेशा से रहा है, और आज भी मौके पर मौजूद है। को खेत ख0न0 601/1 के उत्तर मे गैरसायलान द्वारा डण्डे के बल पर रोक कर अपने खेत ख0न0 601/1 में मिलान पर आमदा है। और सायलान के खेतों को ना काबिल काश्त बनाने का आमदा है। इसलिये रास्ता आम मुताबि... ...सीट मे मौके पर पूर्वानुसार बरकरार रखवाया जाना आवश्यक ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान द्वारा डण्डे के बल पर सायलान की आराजी खसरा न0 607 रकबा 18 ऐयर की तरफ पूर्व करीब 5 ऐयर जमीन कर मकान पाटोर जबरन तामीर कर लिया है। सायलान द्वारा मना किया, तो गैरसायलान द्वारा खेत ख0न0 601/1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के पूर्वी तरफ 5 ऐयर जमीन देने का वायदा किया था मगर दिनांक 03.06.2014 को गैरसायलान द्वारा ख0न0 601/1 में से 4 ऐयर जमीन देने से मना कर दिया है। तथा ख0 न0 607 की 5 ऐयर जमीन से मकान पाटोर चौक हटाने से भी मना कर दिया है। सायलान द्वारा मौके पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों को एकत्रित कर गैरसायलान अज खुद किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये अगर गैरसायलान अपनी इस कुचेष्टा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार इस तर्फेन आफ मनी भी नहीं हो जावेगी।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा तार्फेसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात ख0न0 601/2, 604, 605, 607 कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 है0 स्थित ग्राम हिंडौरा तहसील सूरौठ के कब्जे सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। जमीन व फसल को तथा कृषि विकासार्थ बनाये मकानात को कोई क्षति नहीं पहुचावे तथा रास्ता आम ख0न0 600 को ख0न0 607 व 601/1 के उत्तर में होकर हमेशा से जा रहा है। पर कब्जा नहीं करे। रेवन्यु सीट के आधार पर रास्ता की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 09 की ओर से श्री देवीसिंह अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.04.2023 को वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 02.02.2024 द्वारा गैरसायलान 1 ता 99 के द्वारा जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद न0 1 जिस प्रकार तहरीर किया है गलत होने से अस्वीकार है सायलान को गैरसायलान के खिलाफ कतई गलत दावा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पेश कर दिया है जिसमें सायलान को कोई सफलता नहीं मिल सकती है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 में आराजीयात का स्थित होना स्वीकार है, इस मद में शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद … व 5 ता 9 द्वारा बराबर बहामी बटवारा करना … मकान बनाकर रहना स्वीकार है। … ता 9 ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि को बिना भूमि रूपांतरण कराये …यशी मकानात बना लिये है जो विधि विरुद्ध होने से प्रार्थना पत्र हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत होने से अस्वीकार है, सायलान व गैरसायलान से आपस में पच्चीस साल से मुकदमेबाजी चल रही है जिसमें सायलान व गैरसायल न0 1 ता 9 के मधुर संबंध होने वाली बात स्वतः गलत हो जाती है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम हिंडौरा की आबादी से सायलान की रिहायश व खेत खसरा न0 600 में होकर रास्ता नही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रास्ता दर्ज नहीं है, बल्कि खसरा न0 601/1 के उत्तर में खसरा न0 605 व 607 के मध्य रास्ता है जो मौके पर चालू है। खसरा न0 601/1 रकबा 0.60 है0 गैरसायल न0 1 की खातेदारी की भूमि में पूर्व दिशा में होकर जा रहा है इस खसरा न0 में से सायलान ने गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में से करीब 0.14 है0 भूमि को लट्ठ के बल पर जबरदस्ती उनके खसरा न0 601/2 व 607 में मिलाकर कब्जाकाश्त कर लिया है, जो पटवारी हल्का गिरादवर की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2014 में कुछ भूमि को अंकित किया है जिसमें साफ जाहिर है कि सायलान के कब्जेकाश्त की भूमि खसरा न0 601/1 रकबा 0.60 है0 भूमि में से सायलान द्वारा जबरन कब्जाकाश्त करना साबित है इसलिये सायलान को गैरसायलान न0 1 की खातेदारी की भूमि से कब्जाकाश्त हटवाकर गैरसायलान को कब्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, गैरसायल न0 1 को डिक्री दिनांक 25.08.2023 के अनुसार बटवारे में खसरा न0 601/1 रकबा 0.20 है0 व 607 रकबा .18 है0 बटवारे में डिक्री के अनुसार मिला है। जिसके पश्चिम दिशा में रास्ता की भूमि जो गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी में होकर जाने वाले रास्ते के बाद करीब 0.14 है0 भूमि को दबा लिया है जिस पर से सायलान को बेदखल किया जाना आवश्यक है। सायलान व गैरसायल संख्या 1 के मध्य रास्ता का काई [illegible] हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.11.202[illegible] से भलीभांति [illegible] है। प्रार्थना पत्र सायलान अपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रक[illegible]तहरीर किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है गैरसायलान के मकानात बदल किये गये खसरा न0 614 रकबा 0.63 है0 के पश्चिम तरफ कुछ हिस्से में कृषि आलामात रखने के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लिये मकान बना रखा है। तथा खसरा न0 607 व 614 के मध्य होकर कुऐ भी अगवान है। जिसमें गैरसायलान के हिस्से में होकर उक्त आम रास्ता बना दिया है। शेष सायलान के कब्जे में है। तब गैरसायलान द्वारा सायलान के भूमि खसरा न0 607 रकबा 0.18 है0 के 0.05 है0 में गैरसायलान द्वारा मकान बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। जो पटवारी हल्का की फर्द रिपोर्ट 04.05.2014 से स्पष्ट जाहिर होता है। जिसको मिसल न0 61 दिनांक 23.03.2014 में तहसील हिण्डौन में संलग्न है। तब सायलान की दिनांक 03.06कृ2014 को 0.05 है. भूमि में गैरसायलान द्वारा मकान बनाने वाली बात झूंठी हो जाती है। शेष तथ्य सायलान ने इस मद में मनगंढत लिखे है। जिससे प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 कतई गलत व झूंठा लिखा होने से अस्वीकार है। दिनांक 03.06.2014 को गैरसायलान की सायलान से कोई बात चीत नही हुई। सायलान ने इस मद में कपोल कल्पित तथ्य गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से लिख दिये है। इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य हे।

8. प्रार्थनापत्र टी0आई0 का मद न0 8 गलत होने से अस्वीकार है गैरसायलान को जरिये टी0आई0 से पाबंद कर दिया तो गैरसायलान को भारी अपूर्तणीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार से सुविधा का संतुलन गैरसायलान के हक में बखूबी साबित है।

9. गैरसायलान में से गैरसायल संख्या 5 ने माननीय लोक आयुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर में दिनांक 30.12.2014 को परिवाद विवादग्रस्त भूमि खसरा न0 601/1 रकबा 0.60 है0 स्थित ग्राम ढिंढोरा में वादिया न0 5 द्वारा अतिक्रमण को हटवाने के लिये परिवाद पेश किया था, जिस पर जिला कलक्टर करौली के दिनांक 15.12.2015 एवं उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा ने दिनांक 11.09.2015 को श्रीमान प्रमुख सचिव लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को अपनी जांच रिपोर्ट में वादिया न0 5 द्वारा गैरसायल न0 1 की खातेदारी की भूमि में 0.05 है0 पर अतिक्रमण माना है और गैरसायल न0 5 को धारा 183 राजस्थान टीनेन्स एक्त के तहत दावा करने की सलाह दी है। इसलिये दावा सायलान खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 खाता संख्या 240, 2067–70 खाता संख्या 153 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील गैरसायलान द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2067–70 खाता संख्या 240, 2067–70 खाता संख्या 153 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में सायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी जमाबन्दी 2067–70 खाता संख्या 240, 2067–70 खाता संख्या 153 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ मे दर्ज खातेदार सायलान जो दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि जमाबन्दी 2067–70 खाता संख्या 240, 2067–70 खाता संख्या 153 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ अंकित है एवं सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर गैरसायलानो के कब्जे के होने बावत तथ्यो के संबध मे वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है एवं विवादित भूमि उभयपक्ष के मध्य का रास्ता है उभयपक्ष द्वारा उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। अनावश्यक रूप से एक दूसरे को पाबन्द कराना चाह रहे है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत [illegible] प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय [illegible] का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

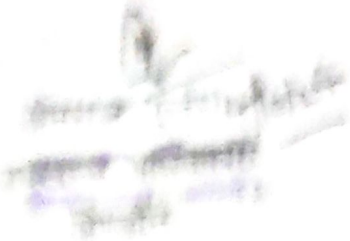

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:38:16 IST
Reason: SelfAttested